

वीतवर्षक वृष्यः ध्याः/वृष्यः वीः १८३ साम्बोग्य एंग अन्त भीत-4१

सरमार द्वारा प्रकाशित

भेगा-- 1, जगर (म) (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनङ, बुधवार, 6 जनवरी, 1993

पौष 16, 1914 शक भम्बत्

चक्त प्रकार सरकार

विधायी अनुभाग-।

संख्या 30/सत्रह-वि-1-1(क) 17-1992 लखनक, 6 जनवरी, 1993

> जीधस्यना विविध

भारमिक विसा पमन कोई असिनिम्म, 1993

"भारत का संविधान" के अनुकाद 201 को अधीन राष्ट्रपति भारीद्रिय में उत्तर प्रदेश विधान मण्डल कृतरा प्रतित उत्तर प्रदेश प्राथमिक विधान संज्ञा अधीन आर्र चयन पीर्ड (संश्रीवन) विभेगक, 1992 पर दिनांक 17 विशानस, 1992 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनयम संख्या 1 सन् 1993 के रूप में सर्वसाधारण की सुचनार्थ इस अधिसुचना द्वारा प्रकाश्चित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) भ्रधिनियम, 1992

(उत्तर प्रदेश अन्यादेश संख्या 1 सन् 1993)

[जीसा उत्तर, प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ] उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा शायोग और चयन वीड प्रधिनियम, 1982 वा

जसर प्रवश कार्यक्ष अग्रतर संशोधन करने के लिए ग्राधिनियम

भारत गणराज्य के तैतालीसर्वे वर्ष में निम्नलिखित श्रधिनियमः बनाया जाता है:--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भाव्यभिक जिल्ला सेवा आयोग और चयन बोर्ड

(संशोधन) ग्रिधिनियम, १९९२ कहा जायेगा। (2) यह ऐसे विनाम को प्रनृष्ट होगा थिसे राज्य सरकार, क्षित्वना हारा, इस निमित्त नियस करे और विभिन्न अपवन्सों के लिए विभिन्न दिमाक निर्धारित-किये जा तकते हैं।

संक्षिप्त नाग और KITTE

2---- चत्तर प्रदेश माध्यतिक जिल्हा तेला सामीम और वशन बोर्ड अविनियन, 1582 के, विदे चलर प्रदेश श्राधिनियम बागे मूल ब्रविमित्रम कहा तथा है, बीचे बी के में बाद्य 'बायोग ब्रोर' निकास दिये लायें। संख्या 5 सन् 1982 के दीव बीपीन का संशोधन धारा 1 पत 3--मूल प्रसिनियम की दारा कर, उपवास (1) में, महत "झायोग झोर" विकास दिए वावेंगे। र्धशोधन वाचा 2 वा 4--मूल मधिनियम की जारा 2 थे,--संगोधन (क) खण्ड (ख) और (ग) निकाल दिये जायेंगे; (ख) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, ''(ध-1) 'निरीक्षक' का तात्पर्य जिला विद्यालय निरीक्षक और बालिकाओं की किसी संस्था के सम्बन्ध में संभागीय वालिका विद्यालय निरीक्षिका से हैं ; (ग) खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्— "(छ) 'सवस्य' का तात्पर्य बोर्ड के सवस्य से है और इसके अन्तर्गत सभापति भी है; " (घ) खच्ड (घ) और (ठा) निकाल दिये जायगे ; (छ) खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्---"(ठ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ।" 5----मूल ब्रिधिनियम का अध्याय दो जिसम घारा 3 से 11 दी गई हैं, निकाल दिया धारधाय दो का निकाला जाना जायेगा । वादा 12 जा 6—मूल ग्रजितियम भी नारा 15 में,----(म) प्रमुखारा (1) में मुख्य "छ: या इतने शक्तिक" है स्थान पर काल "कारण 🛵) जम्मारा (३), (३) घोर (६) वास्त्राम, नर निरुद्धितिक व्यवस्ताम 👵 🔿 जायंगी, अर्थात्--"(3) प्रत्येक ऐसे वोर्ड में एक सभापति और चार से अनिधक ऐसे अन्य सबस्य होंगे जिन्हें चयन समिति, जिसमें निम्निविखित होंगे, द्वारा विहित रीति से की गई रांस्तुति गर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा :--(एक) मुख्य सचित्र, उत्तर प्रवेश सरकार (बी) स्रीया, रक्तर प्रदेश सरकार व्याय विभाग (वीर) वांच्य, एतर प्रवेश सरकार, को मान्यतिक विकार . . अवस्थ (4) कोई व्यक्ति समायति के रूप में नियुक्ति के लिए ग्रई नहीं होग प्राथ

- - (क) वह निम्नालिखित पदों में से कोई पद या उसक समकक्ष कोई पद धारण न करता हो या धारण न कर चुका हो, अर्थात्--
 - (एक) विचा भाषाबीहा;
 - (कीर) विशासिक ; या
 - (ख) वह राज्य सरकार की राय में ऐसा विख्यात शिक्षाविद न हो जिसन शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया हो ।
 - (5) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में निवृत्तित के लिए बई नहीं होगा जब तक
 - वह निम्हलेसंस्त पर्दों सभी कोई पर या उससे समस्या पर छाएगा
 - (एक) वार जिला नायाचारा ;

(दो) अपर जिला मजिस्ट्रेट ;

(तीन) अपर शिक्षा निदेशक ;

(चार) उत्तर प्रदेश में विवि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में आचार्य;

(पांच) ऐसे किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या उससे सम्बद्ध किसी महाविद्यालय का कम से कम दस वर्ष की अविद्य के लिए प्रधानाचार्य या उपाचार्य ;

(छः) किसी संस्था का कम रो कम पन्द्रह वर्ष की अविध के छिए प्रधानाचार्य; या

(ख) बह राज्य सरकार की राय में ऐसा विख्यात शिक्षाविद न हो जिसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया हो ।"

7--मूळ अधिनियम की घारा 12 के पश्चात् निम्नालिखित घारायें बड़ा दी जा**यें**गां! सर्पात्---

"12--क-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये पद वारण करेगा।

सनस्यों की पदार्थीय (2) कोई भी व्यक्ति निरन्तर दो पदार्थीयों से अधिक और सेवा की धर्ते के लिए बोर्ड का सदस्य नहीं होगा।

(3) बोर्ड का कं.ई सदस्य राज्य सरकार को राम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद स्थाग कर सकता है किन्तु वह पद पर तव तक बना रहेगा जब तक उसका त्याग-पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत न कर लिया जाय ।

(4) सदस्यों का पद पूर्णकालिक होगा और उनकी सेवा के निवन्धन ग्रीर शर्ते ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार, आदेश द्वारा निदेशित करें।

(5) इस बारा या घारा 12 में किसी वात के होते हुए भी पचपन वर्ष से कम आमु का और वासठ वर्ष की आयु प्राप्त कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जायगा और न ही वासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् कोई व्यक्ति सदस्य बना रहेगा।

12—-स-(1) राज्य सरकार, बावेश हारा, किसी सबस्य की पद से हटा सकती है, यदि बह—

सदस्यों को हटानें की राज्य सरकार की शक्ति (क) दिवालिया न्यायनिणींत किया जाय ; या

(स) अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक सेवायोजन में कार्य करे; या

(ग) राज्य सरकार की राय में, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता या सिद्ध कदाचार के कारण पद पर बने रहने के लिए

(घ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी अन्तर्हता का भागी हो जायं।

स्पष्टीकरण — जहां कोई सदस्य एगे सदस्य के रूप से अन्यया किसी प्रकार से किसी संस्था द्वारा जा उसकी और वे किसी संविदा जा करार से, संबद्ध हो या उसमें हितबद्ध हो या उसके जान में या उतसे प्राप्त होने वाले किसी फायदे या उपलब्धि में सम्मिलित हो वहां उसे खण्ड (ग) के प्रयोजनार्थ कदाचार का दोषी उसका जायेगा।

(2) इस बारा के अचीन कवाचार के अन्वेषण और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित भी जाय ।

12-ग--वीर्ड अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिये जो विहित किये खंडमुन्य करने को जार्थे, किसी ऐसे व्यक्ति को सह्युक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के किन्हीं उपयन्थों को कार्यनिवत करने के लिए लेना चाहे।"

8--मूळ अधिनियम की घारा 13 में, उपधारा (1) में, अन्त में निम्निजिबित परन्तुक यहा दिया जायेगा, अर्थीत्--

"परन्तु बोर्ड का सचिव राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जायेगा।"

9--- जूल अविनियम की धारा 14 में,---

(क) उपधारा (1) में, कोष्टक और मध्य "अनुतूची में निर्मिद-ट अध्यापक से धिल" निकास दिये जायेंगे ; धारा 13 का संबोधन

घारा 14 सा संशोधन

नई घारा 12-क, 12-ख और 12-म का बढ़ाया जाना (ख) उपवारा (2) निकाल दी जागर्गी ;

(ग) उपधारा (3) में,--

(एक) बाट्स और शंक "उपभास (1) श्रीर (2)" के स्थान पर बाट्स श्रीर शंक "उपधास (1)", एक दिये कार्यने ; (दो) खण्ड (क) में, धन्द "परीकार्ये जहां शावपयक समक्षा जाय, संचानित करना या" निकाल विरो जावनी ;

(घार) खण्ड (म) में घट्ट "ग्राँप परीक्षकों" निकाल दिए जामेंगे।

(पांच) खण्ड (ह) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड नहा विये जावेंगे, श्रथात्-(च) चयन किये वये अध्यिथों की नियुक्ति और उनकी प्रोन्नति कै संबंध में सिफारिश करना ;

(छ) अध्यापकों की पदच्युति, हटावे जाने या पंक्तिच्युति या उनकी जपलिंधयों में कोई कमी या जनकी वेतनवृद्धि रोकने से संबंधित विषयों में प्रबन्धतंत्र को सलाह देना ;

(च) अध्यापकों की पद संख्या और अध्यापकों की नियुक्ति, प्रोत्नित, पदच्यात, हटान, सेवा तमाप्ति या पंक्ति खुति की संबंध में संस्थाओं से नियतकालिक विवर्णियां या ग्रन्य सूचनाय प्राप्त करना।"

10----मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, शर्थात्--

"15--(1) किसी अध्यापक की नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ प्रवंधतंत्र विश्वमान या वर्ती की वर्ष के बौरान संमानित, रिक्तियों की संख्या और संस्था अध्यापकों के चयन के प्रधान से भिक्त किसी पर के मामले में अनुस्चित जातियों, अनु-की प्रक्रिया सुचित जनजातियों और ग्रन्य श्रेणियों के ग्रस्यांच्यों के लिये शारक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी संस्था के संबंध में नियम। बली या सरकार द्वारा इस निश्चल जारी किए गर्ने प्रादेशों के प्रतुसार अवधारित करेगा और रिक्तियों को बोर्ड को ऐसी रीति ते और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के माध्यप से, जो विद्यित किया जाय, श्रीविद्याचित करेला ।

(2) ऐसे अध्यापकों के पत्रों पर नियुत्ति के लिए अध्याधियों के चयन की प्रक्रिया

ऐसी होगी, जंसी विहित की जाय :

परन्तु बोर्ड प्रविमाधाणी व्यक्तियों को सामंत्रित करने की दृष्टि से उपवास (1) के असीन अधिसूचित रिक्तियों भी राज्य में ब्यायक प्रचार करेगा ।

15-य-(1) वीड, बारा 15 के प्रधीन रिवितवों को खिशत्वित करने के पश्चात् यथा-सम्याव शीम्र प्रध्यवियों का साक्षातकार करेगा और निवृतित की वोर्ड हारा चयन लिए उपयुक्त पाए गर्ये अध्ययियों का पैनल तथार करेगा और उसे वारा 15 की उपवास (1) में निविद्ध श्रविकारी वा प्राधिकारी को किए गए अभ्य-

थियों का पैनल विहित रीति से अग्रसारित करेगा । (2) ऐसे पैनल के प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी उस संस्था के, जिसके संबंध में दिशित श्रविस्थित की गई थी, प्रवंधतंत्र को चयन किए गए श्रभ्यार्थियों के नाम जिह्ति रीति से सुचित करेगा ।

(3) प्रबंधतंत्र ऐसी सुकता भी प्राप्ति के दिनांक से एक मास की अवधि के पीतर ऐसे जनत किये गए धन्मधियों को नियुनित-यत जारी करेगा ।

(4) यति इस प्रकार चयन किया तथा धारवर्षी ऐसी संस्था में, नियुक्ति-पत में धनुमत समय के भीतर वा ऐसी बढ़ायी राई शर्वात के बीतर जिसकी प्रबन्धतंत इस निमित्त अनुपति दे, पद का कार्यभार प्रकृण करने में विफल रहता है या यदि ऐसा अभ्यवी नियुक्ति के लिये जन्मथा जगरान्य नहीं है, तो संबंधित शिवकारी या शिविकारी प्रयंशतंत्र के अनुरोध गर, उपधारा (1) के श्रवीन बोर्ड क्षारा अग्रसारित दैनल से नया त्राम या नवे नाम विहित रीति शे शूचित करेगा ।

(5) उपधारा (1) के प्रधीन तैयार पैनल एक वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगा । 15-- ख----यदि किसी संस्था में धारा 33 के अधीन अध्यापकों की नियुक्ति के

संचित शायक्षत कोटा के लिवे विशेष उपबन्ध

विनियमिसीकरण के पश्चात् यह पाया जाए कि धारा 15 की चप-धारा (1) में बिनिटिस्ट चनुपुचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य निजी आर्राक्षत श्रेणी ने व्यक्ति राज्य सरकार से किसी नियम या आदेश द्वारा उनके लिये आरक्षित पदीं की संख्या से कम

धारा 15 छ। वतिस्थापन

11--मूळ अधिनियम की घारा 16 के स्थान पर निम्निलिखित घारा रख दी जायगी, अर्थात्--

वारा 16 का प्रतिस्थापन

"16--(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 या उसके अधीन बनाए गए विनियमों में किसी प्रतिकूल वात के होते हुए भी, किन्तु धारा बोर्ड की सिफारिश 21—क, 21—प, 33, 33—क, और 33—क के उपवन्धों पर ही नियुक्तियों के अधीन रहते हुए अव्यापकों की प्रत्येक नियुक्ति उत्तः प्रदेश माच्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (सँशोधन) अधिनियम, की जायेंगी 1992 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् प्रबन्धतन्त्र द्वारा दोर्ड की सिकारिश पर ही की जायगी:

परन्तु छटनी किए गए कर्मचारियों के संबंध में, इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की बारा 16-इड के उपबन्ध यथावक्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे :

परन्तु यह और कि किसी एक संस्था में दूसरी संस्था में स्थानान्तरण आर्। किसी बध्यापक की नियुनित इण्टरमीडिएट दिल्ला अधिनियम, 1921 की धारा 16-छ की उपधारा (2) के खण्ड (य) के शबीन बनाए गए विनियमों के अनुसार की जा सकेंगी।

(2) उपधारा (1) के उपवासों का उल्लंघन करके की गई कोई नियुक्तित शून्य होनी।"

12-मूल अधिनियम की धारा 17 में--

(क) उपधारा (1) में, सब्द "धथास्थिति, अध्याय दो या अध्याय तीन" के स्थान पर अब्द "अध्याय तीन" रखा दिये लायेंगे।

(ल) उपवारा (2) में, सन्द "आवेजन-पन्न प्राप्त होने पर" के स्थान पर सन्द "आवेदन-पन्न की प्रान्ति के दिनांक से यथावंगत एक सास में भीतर" रख दिये जागेंगे ।

13---मूल अभितियम की धारा 18 निकाल दी जानगी ।

HIT IS WI निकाला जाना

वारा 17 वर्ग

संशोधन

1 🚛 मूल विविधः म को घारा 🕹 १ के स्थान पर निम्नावितित धारा रह थी जापगी, वर्षात्— "15--बोर्ड विभी संस्था के प्रधन्धतम्य से मारा 14 में निविष्ट विवयों के प्चना आदि संबंध में ऐसी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जिसे वह उचित यमक्षे, और प्रयन्त्रतंत्र उसका अनुपाछन सांगने की शवित करने के लिए बाध्य होगा।"

भारा 19 का प्रतिस्थापन

15—मूल प्रविधियम भी घारा 20 में, शब्द "आयोग के सचिव या आयोग या बोर्ड द्वारा प्राविद्वत किसी अन्य व्यक्ति" के स्थान पर शब्द 'धोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति" रख विये जारोंगे।

घारा 20 का

16--मूल अधिनियम भी घारा 21 के स्थान पर निम्बलिंदन पारा रख दी जायगी, नवांत---

धारा 21 पा प्रतिस्थापन

"21---प्रबन्धतंत्र, बोर्ड के पूर्वानुसोदन के सिवाय किसी अध्यापक को पदच्युत नहीं करेगा, न सेवा से हटाएमा, न शेवा से हटाने की कोई नोटिस देशा, न पाँकाच्युन करेगा, न उसकी परिक्रियमों में कोई कसी फरेगा और न ही किसी लगमि के किने उसकी नेतानकृद्धि (माहे वह पवन्यत आदि फरने अस्थायी या स्थानी त्या से हो) रोकंगा, और ऐसे पूत्रीनुमोदन के पर निर्वत्वन बिना किया गया ऐसा कोई कार्य चून्य होगा।"

17--मूल लिविनयम की धारा 22 में, सब्द "यथास्थिति, आयोग या बोर्ड" के स्थान पर मान्द "वोर्ड" रख दिया जागगा ।

धारा 22 का

18---मूल अधिनियम की घारा 23 और 26 में, जहां कहीं शब्द "आयोग या" श्राए हों, उन्हें

घारा 23 और 26 का संशोधन

19-मूल अविनिधम की पारा 27 में, उपवारा (1) निकाल वी जासभी।

धारा 27 का संशोधन

क्र T 745

पाप 28 पा ंगोध**र**

20-मूल श्रीविनवस की धारा 23 में, शब्द 'आयोग वा बोर्ड" के स्थान पर शब्द "वाड" रख दिया जायगा।

विद्याला जाना

21—मूज धार्विनियम के वाटा 25 किमान हो जासभी ।

वादा ३२ जा

22—पूछ अधिनियम की नारा 32 में, बार "वा भाग मुनीत प्रवाह हुए। किल्के अर्थ विनेयमों" के स्मान पर बारा "वा एसके व कीन बनाए गए निर्फ ही" रहें "बिने वार्षित ।

धारा अअका

25---मूल मधिनियम भी पाच 35 हैं, जनवारा (1) में, परस्तुक के स्थान पर निम्नलिवित प ज्तुक रख विया जावगा, घरांत्---

ें "परन्तु ऐसा को हैं आवेश उत्तर प्रदेश माध्यभिक शिक्षा संसा आ नाग और नयम हो उ (संबोधन) अधिनियम, 1992 के आरहन के विनांक से दो नये के प्रमान नहीं दिया

नई घात ३३-ख था बढ़ाबा नाना

24---मूल अधिनिधम की बारा 33-- र के पश्चात् किरवलिखित धारा बढ़ा दी वायेगी, अर्थात्---"33-च---(1) मानार्वे मामनार अन्यायक से विका ऐसे किसी स्वयायक की गरंबहरू

(क) (एक) क्ला: प्रदेश माध्यमिक विद्या तेवा याचीप िष्ट) (५०) क्या अन्य पार्थामक । धारा वदा आस्य (इंडियाईम के दूर इस्ता) (हिंदीम) सामेश्र, 1981 के पेट 2 के बाहुतार प्रस्ता वेशी मा प्रक्रिया कारता केवी में 14 वर्ष, 1991 के मा सामेश्री साम प्रक्रिया कारता में में 14 वर्ष, 1991 के मा सामेश्री दूर, या सर्वीक्रिकेट आफ सीचिम मेर में 10 मही निवादिसमाँ का विनियमितीकरण 1909 को था। एक हे पूर्व, परीकृति प्राप्त था की भी कही द्वारा कियी शहरकारिक विभिन्न में विद्वार किया जया। था भीर पूर्वी विभिन्न की बाद में मिलिक विभिन्न में परिवर्धित कर विभागमा या ; या

(यो) प्रांतिकेट शाम टीनिन के में दिनी मौनिक दिन्ति है जीत त्वर्व मधार पर विज्ञाम में भाग्यत से 14 मुझाई, 1981 मो वा उपके नणाव किल् 12 तुरु 1985 है पश्चार वहीं, सीची नहीं द्वारा दिन्ता मिला मुख या शीर लो निर्वतः निर्वतिक वारा धतुर्गतिक कर दी गई थी ; या

(तीन) वार्षा 13 के वनुस्ता, नेती कि बहु स्वार प्रतेष मास्प्रिक विश्व रोता आयोग और बदानों (बीजोरा) अधिनिया, 1995 हास मिकाने वार्ष से पूर्व थी, किसी सीनिय दिवस है गरि सहले सामार पर व्योतिन हास मा मिलो असीहरास 31 युआई, 1988 की मा उससे क्यान् निस्मु 14 मई, 1991 से प्राचान् गर्दी, निमुक्त दिवा था;

- (च) उन्दर्शतिक शिक्षा व्यक्तियन, 1921 के कार्यकों के उन्दर्भव चिद्रित महीत हैं पाना है। या ऐसी बहुँताओं ने कूट पान हो ;
- (ग) नेवी निर्देश के दियां ह ने वाग्ड (क) ने सन-वाग्ड (वीन) में विधित्त शृक्षितिवय के मारण्य होते के विगोड़ तक चंदमा में निरन्तर क्यार्थ कर रहा हों ;
- ं(व) धारा 33-क की उपवास (3) के स्वव्यक्तरण में विविधिक्य समास् विसंस्था के प्रमुखनेक के किसी बदल या नामार्थ का प्रधान कन्नाण है वे
- (७) उपवास (२) वे धवीन पठित समन विमित्र द्वारा मीतिक का से निमृतिय से धिने उमनुस्त पामा प्रमाही ।
- (१) (छ) प्रत्येक प्रव्याम के लिए एक स्थान समिति होगी जितनें निम्मीनिक्षित
 - (एक) उस सम्भाग का सन्भागीय उस विका निवेशक, को शब्दाय होगा ;
 - (पी) विज्ञा विश्वास में निशा विश्वी विभाग में, एक्स सरकार हारा सम्बन सानम पर एक स्पान विनिधित्व तामुह "क" का पर धारण करने धाला एथा श्रीविकारी को दाव्य सरकार द्वारा नाम-निविच्य किया जायेगा ;
 - (तोन) उस सम्मागकी संमागीन वालिका विद्यालय निरीधिका :

परन्तु उस जिसे के विभिन्नांभतीकरण के सम्पत्तों पर विनार करते. समय शिका विद्यानक को सबस्य के कृप ने पहलोगित किया पासेगा।

- (ख) खण्ड (क) के ब्रधीन गठित चयन समिति प्रत्येक ऐसे ब्रध्यापक से मामले पर विचार करेगी और उपधारा (1) के उपधन्यों को ध्यान में रखते हुए उसकी पानता श्रीर उपधुक्तता के संबंध में समाधान हो जाने पर, उपधारा (3) के उपबन्धों के ग्रधीन रहते हुए, किसी मीलिक रिक्ति पर उपधारा (1) के ग्रधीन निवृक्ति के लिये अवन्धतंत्र को उसके नाम की सिकारिश करेगी।
- (3) (क) मौलिक नियुक्ति के लिये अध्यापकों के नामों की सिकारिश उनकी , नियुक्ति के दिलांक से यथा-अवधारित ज्येष्टता-कम भें की जानेगी।
- (च) यदि दो या प्रधिक ऐसे सध्यापक एक ही दिलांक को नियुक्त किए गए हों तो बायु में बनेक्वाकृत बड़े अध्यापक की सिफारिश पहले की जायेगी ।
- (4) उपहारा (1) के ग्रधीन मौलिक एव में नियुक्त प्रत्येक अध्यापक को ऐसी मौलिक नियुक्ति के विनांक से परिवीक्षा मर समझा वायेगा।
- (5) ऐसा अध्यापक जो उपधारा (1) के अधीन उपयुक्त न पाँचा जाय और ऐसा अध्यापक जो उस उपधारा के अधीन मौतिक नियुक्ति पाने के लिये पान न हो, ऐसे दिनांक को जैसा राज्य सरकार आदेण द्वार्य, विनिधिष्य करें, नियुक्ति पर नहीं रह जायेगा।
- (6) इस बादा की किसी वाल से यह नहीं समजा जायेगा कि कोई अध्यापक गोजिक नियुक्ति के लिये हकतार हो जायेगा, यदि उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपधाण्ड (सीन) में निदिल्ट अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांच को ऐसी दिक्ति गहले से ही भरी हुई भी या ऐसी दिक्ति के लिये इस अविभियम के अपुरार पहले ही प्रमा कर लिया गया है।"

25---मूल ग्रविनियम की धारा 34 निकाल दी जायभी ।

26-- मूच श्रविनियन की अनुजूची निकाल दी जायगी ।

27- पूज अधिनियम की धारा 3 के, जैठी वह इन अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, अधीन निगमित निकाय के रूप में यठित उत्तर प्रदेश पाध्यमिक धिक्षा सेवा आयोग, ऐते प्रारम्भ पर विचटित हो जायमा और ऐसे विचटन पर---

- (क) उस जायोग की सभी सम्मितियां भीर परिसम्मितियां और उस आयोग के सभी ऋण, दायित्व और वाध्यता चाहे किसी एविया के असीन हो, या अन्यंथा हों पूल घांधिनिसम की घारा 12 के अधीन स्थापित ऐसे बोर्ड को अन्तरित हो जायेंथी जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिदिष्ट करें;
- (ख) उस आयोग में प्रतिचित्रुक्ति पर काम करने वाले सभी व्यक्ति अपने मूल विभागों में प्रतिवर्धित हो जायेंगे ;
- (ग) उत्त बायोग के प्रत्येक पूर्णकाशिक कर्मचारी की तेनार्थे पूत्र प्रविनियम की वारा 12 के अशीन स्वापित ऐसे बोर्ड में, जिसे राज्य सरकार, अधिपूचना हारा इस निभिन्न विनिर्विष्य करे, अन्तरित ही जाकेंगी ।
- (प) मून अधिनियम के अध्याय दो थे, जैसा वह इस स्थितियम के प्रारम्य के पूर्व था, प्रचीन जस धारीच के समझ कम्बित कीई विषय थीर मून अधिनियम की वारा 21 को जैती वह ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्वे थी, अधीन उस आयोग के समझ लिम्बत कोई संदर्भ, मून अधिनियम की धारा 12 के श्रधीन स्थानित अधिकारिता रजने वाले बोर्ड को अन्तरित हो जायमा।

काशा सं, नरंद्र क्यार नारंग, धारा 34 का निकाला जाना

थनुसूची का निकाला जाना

संक्रमणकालीन उपनन्ध

No. 30(2)/XVII-V-1—1(KA)17-1992

Dated Lucknow, January 6, 1993

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Seva Ayog Aur Chayan Board (Sanshodhan) Adhiniyam, 1992 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 1993) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on December 17,

THE UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION SERVICES COMMISSION AND SELECTION BOARDS (AMENDMENT) ACT, 1992

(U. P. ACT NO. T OF 1993)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

ACT

further to amend the Uttar Fradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards Act, 1982.

IT is HERBBY enacted in the Forty-third Year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1992.
- (2) It shall come into force on such date as the State Government appointed for different provisions.

Amendment of long title of U.P. Act no. 5 of 1982

2. In the long title of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards Act, 1982, hereinafter referred to as the principal Act, the words "Commission and" shall be omitted.

Amendment or section 1

3. In section 1 of the principal Act, in sub-section (1), the words "Commission and" shall be omitted.

Amondment of Section 2

- 4. In section 2 of the principal Act,-
 - (a) clauses (b) and (c) shall be omitted;
 - (b) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely-"(d-1) Inspector 'means the District Inspector of Schools and in relation to an institution for girls, the Regional Inspectress of Girls Schools;";
 - (c) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely-"(g) 'member' means a member of the Board and includes the President;";
 - (d) clauses (i) and (j) shall be omitted;
 - (e) after clause (k), the following clause shall be inserted,
 - "(1) 'year of recruitment' means a period of twelve months commencing from first day of July of a calendar year."

5. Chapter II containing sections 3 to 11 of the principal Act shall

Ameridment of section 12

6. In section 12 of the principal Act,-(a in sub-section (1), for the words "six or more" the word" four" shall be substituted;

- (b) for sub-sections (3), (4) and (5) the following sub-sections shall be substituted, namely-
 - "(3) Every such Board shall consist of a President and not more than four other members, to be appointed by the State Government, on the recommendation made in the prescribed manner by a Selection Committee comprising.—
 - (i) Chief Secretary to the Government of Uttar-Chairman Pradesh.
 - (ii) Secretary to the Government of Uttar Pradesh-Member in the Judicial Department.
 - (iii) Secretary to the Government of Uttar Pradesh—Member incharge of the Secondary Education Department.

 Secretary Convenor
 - (4) A person shall not be qualified for appointment as Prosident unless,—
 - (a) he holds or has held any of the following posts or a post equivalent thereto, na nely-
 - (i) District Judge;
 - (ii) District Magistrate;
 - (iii) Director of Education; or
 - (b) he is, in the opinion of the State Government an, eminent educationist having made valuable contribution in the field of education.
 - (5) A person shall not be qualified for appointment as a member unless,-
 - (a) he holds or has held any of the following posts or a post equivalent thereto, namely—
 - (i) Additional District Judge;
 - (ii) Additional District Magistrate;
 - (iii) Additional Director of Education:
 - (iv) Professor in any University established by law in Uttar Pradesh;
 - (v) Principal or Roader of any College recognised by or affiliated to, any such University for a period of not less than ten years :
 - (vi) Principal of any Institution for a period of not less than fifteen years; or
 - (b) he is, in the opinion of the State Government, an eminent educationist having made valuable contribution in the field of education."
- 7. After section 12 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely-

"12-A(1) Subject to the provisions of this Act, every member shall hold office for a term of three years,

Term of office (2) No person shall be a member of the Board for more than two consecutive terms.

(3) A member of the Board may resign his office by writing under his hand to the State Government, but he shall continue in office until his resignation is accepted by the State Government.

- (4) The office of the members shall be whole time and the terms and conditions of their services shall be such as the State Government may, by order, direct.
- (5) Notwithstanding anything contained in this section or section 12, no person shall be appointed as a member, if he is below fifty five years of age, or be appointed or continue as member, if he has attained the age of sixty two years.

Insertion of new sections 12-A, 12-B and 12-C

12-B.(1) The State Government may, by order remove from office any

Power of State IGovernment to

(a) is adjudged an insolvent, or (b) engages, during his term of office, in any paid employment outside the duties of his office, or

(c) is, in the opinion of the State Government, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body or of proved misconduct, or

(d) incurs any disqualification under this Act or the rules made thereunder.

Explanation—Where a member becomes in any way concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of any institution or participates in any way in the profits thereof as a member, he shall for the purpose of clause (c), be deemed to be guilty of misconduct.

(2) The procedure for the investigation and proof of misconduct under this section shall be such as may be prescribed.

12-C. The Board may associate with itself, in such manner and for such purposes as may be prescribed, any rerson associate whose assistance or advice it may desire to have, in carrying out any of the provisions of this Act.

Amendment of section 13

18. In section 13 of the principal Act, in sub-section (1), the following proviso shall be inserted in the end, namely—

"Provided that the Secretary of the Board shall be appointed by the State Government on deputation."

Amendment of section 14

9. In section 14 cf the principal Act,

(a) in sub-section (1), the brackets and words "(other than a teaches specified in the Schedule)" shall be omitted;

(b) sub-section (2) shall be omitted;

(c) in sub-section (3),-

(i) for the words and figures "sub-sections (1) and (2)," the words and figures "sub-section (1)," shall be substituted;

(ii) in clause (a), the words "to conduct examinations where considered necessary or" shall be omitted;

(iii) in clause (b), the words "and to appoint examiners" shall be omitted;

(iv) in clause (c) the words "and examiners" shall be omitted; (v) after clause (e), the [following clauses shall be inserted, namely_

"(f) to make recommendations regarding the appointment of selected condidates and their promotion;

(g) to advise the management in matters relating to dismissal, removal or reduction in rank of the teachers or reduction in their emoluments or withholding of their increment;

(i) to obtain the periodical returns or other informations from institutions regarding strength of the teaching staff and the appointment, promotion, dismissal, removal, termination or reduction in rank of teachers."

Substitution section 13

10. For section 15 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:

Procedure for cies existing or likely to fall vacant during the year than the post of head of institution, also the number of vacancies to be reserved for the candidate relationship to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other eategories

of persons in accordance with the rules or orders issued by the Government in this behalf in regard to the institution and notify the vacancies to the Board in such manner and through such officer or authority as may be prescribed.

(2) The procedure of selection of candidates for appointment to the post of such teachers shall be such as may be prescribed:

Provided that the Board shall, with a view to inviting talented persons, give wide publicity in the State to the vacancies notified under sub-section (1).

Panel of candidates selected by Beard of those found suitable for appointment.

Panel of candidates selected by Beard officer or authority referred to in sub-section (1) of section 15 in the prescribed manner, a panel

- (2) On receipt of such panel the officer or authority concerned shall, in the prescribed manner, intimate the Management of the Institution, in respect of which the vacancy was notified the name of the selected candidate.
- (3) The Management shall, within a period of one month from the date of receipt of such intimation, issue appointment letter to such selected candidate.
- (4) Where such selected candidate fails to join the post in such Institution within the time allowed in the appointment letter or within such extended time as the Management may allow in this behalf, or where such candidate is otherwise not available for appointment, the officer or the authority concerned may, on the request of the Management, intimate in the prescribed manner, fresh name or names from the panel forwarded by the Roard under sub-section (1). by the Board under sub-section (1).
- (5) The panel prepared under sub-section (1) shall remain in force for one year.

for one year.

15-B. Where after regularisation of appointment of teachers under section 33-B, it is found that in any Institution persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other categories referred to in sub-section (1) of section 15 are not holding such number of posts as should have been held by persons of such category according to the posts reserved for other provision of this Act appointments in such Institution in the Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1992 shall be so made that the first and every alternate vacancy is filled by the person of such category until the number of post reserved for such category is filled by persons belonging to such category."

11. For section 16 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely-

"16. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Intermediate Education Act, 1921 or the regulation's nade thereunder but subject to the provisions of services Contrary contained in the Intermediate Education Act, 1921 or the regulation's nade thereunder but subject to the provisions of sections 21-B, 21-C, 21-D, 33, 33-A and 33-B, everyon of the Econdary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1992, be made by the Management only on the recommendation of the Board: Appointment to be made only on the recommenda-tion of the Board , recommendation of the Board :

Provided that in respect of retrenched employees, the provisions of section 16-FE of the Intermediate Education Act, 1921, shall mutatis

Substitutie = e

Provided further that the appointment of a teacher by transfer from the Institution to another, may be made in accordance with the regulations made under clause (c) of sub-section (2) fection 16-G of the intermediate Education Act, 1921.

(2) Any appointment made in contravention of the provisions of sub-section (1) shall be void."

Amendment of section 17

- 12. In section 17 of the principal Act,-
 - (a) in sub-section (1), for the words "Chapter II or Chapter III, as the case may be", the words, "Chapter III" shall be substituted;
- (b) in sub-section (2) for the words "on receipt" the wor is "As far as may be within one month from the date of receipt" shall be substituted.

Omission of section 18

13. Section 18 of the principal Act, shall be smitted.

Substitution of section 19

- 14. For section 19 of the principal Act, the following sect on shall be substituted, namely-
 - "19. The Board may request the Management of an Institution to farnish such information or return regarding the matters referred to in section 14, as it thinks fit, and the Management shall be bound to comply with the same." Power to call for information for infor

Amendment of section 20

15. In section 20 of the principal Act, for the words "The Secretary of the Commission or any other person authorised by the Commission or the Board", the words "Any person authorised in this behalf by the Board" shall be substituted.

Substitution of

- 16. For section 21 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely-
- "21. The Management shall not, except with the prior approval of the Board, dismiss any teacher or renove him from service, or serve on his any notice of removal from service, or reduce him in rank or reduce his enoluments or with hold his increment for any period (whether temporarily or perminently) and any such thing done without such prior approval shall no void.

- Amendment of section 22
- 7. In section 22 of the principal Act, for the words "the Commission of the Board, as the case may be," the words "the Board" shall be substituted.
- Amendment of sections 23 and 26
- 18. In sections 23 and 26 of the principal Act, the words "the Commission or" wherever they occur, shall be omitted.
- 19. In section 27 of the principal Act, sub-section (1) shall be omitted.
- Amendment of section 28
- 20. In section 28 of the principal Act, for the word; "the Commission or Board", the words "the Board" shall be substituted.
- Ommission of section 29
- 21. Section 29 of the principal Act shall be omitted.
- [Amendment section 32
- 22. In section 32 of the principal Act, for the worls "or the rules or regulations made hereunder," the words "or the rules made hereunder," shall be substituted.
- Amendment of geetion 33
- 23. In section 33 of the principal Act, in sub-section (1), for the provise the following provise shall be substituted, namely:

"Provided that n such order shall be made after two years from the data of comme ement of the Utter Praissh Secondary Education for the Utter Canadaman) Act, 1992."

24. After section 33-A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely—

Insertion of new section-33-13

"33-B. (1) Any teacher, other than the Principal or Headmaster, who-

Regularisation of certain other appointments

(a) (i) was appointed by promotion or by direct recruitment in the lecturer grade or Trained Graduate grade on or before May 14, 1991 or in the Certificate of Feaching grade on or before May 13, 1989 against a short term vacancy in accordance with paragraph 2 of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission (Removal of Difficulties) (Second) Order, 1981 and such vacancy was subsequently converted into a substantive vacancy, or

- (ii) was appointed by direct recruitment on or after July 14, 1981 but not later than June 12, 1985 on ad hoc basis against a substantive vacancy in the Certificate of Teaching grade through advertisement and such appointment was approved by the Inspector, or
- (iii) was appointed by promotion or by direct recruitment on or after July 31, 1988 but not later than May 14, 1991 on ad hoc basis against a substantive vacancy in accordance with section 18, as it stood before its omission by the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1992:
 - (b) possesses the qualifications prescribed under, or is exempted from such qualifications in accordance with, the provisions of the Intermediate Education Act, 1921;
 - (c) has been continuously serving the Institution from the date of such appointment up to the date of the commencement of the Act referred to in sub-clause (iii) of clause (a);
 - (d) is not related to any member of the Management or the Principal or Head Master of the Institution concerned in the manner specified in the explanation to sub-section (3) of section 33-A;
 - (e) has been found suitable for appointment in a substantive capacity by a Selection Committee constituted under sub-section (2), shall be given substantive appointment by the Management.
- (2) (a) For each region, there shall be a Selection Committee comprising—
 - (i) Regional Deputy Director of Education of that region, who shall be the Chairman,
 - (ii) Cne officer holding a Group 'A' post (specified as such by the State Government from time to time) in any department other than Education Department, to be nominated by the State Government.

(iii) Regional Inspectress of Girls School of that region:

Provided that the Inspector of the district shall be co-opted as a member while considering the cases for regularisation of that district.

- (b) The Selection Committee constituted under clause (a) shall consider the case of every such teacher and on being satisfied about his eligibility and suitability in view of the provisions of sub-section (1) shall, subject to the provisions of sub-section (3) recommend his name to the Management for appointment under sub-section (1) in a substantive vacancy.
 - (3) (a) The names of the teachers shall be recommended for substantive appointment in order of seniority as determined from the date of their appointment.
 - (b) If two or more such teachers are appointed on the same date, the teacher who is elder in age shall be recommended first.
 - (4) Every teacher appointed in a substantive capacity under subsection (1) shall be deemed to be on probation from the date of such substantive appointment.

Omission section 34

Transitory Provisions teacher who is not found suitable under sub-section (1) and a teacher who is not eligible to get a substantive appointment under that sub-section shall cease to hold the appointment on such date as the State Government may by order specify.

(6) Nothing in this section shall be construed to entitle any teacher to substentive appointment, if on the date of commencement of the Act referred to in sub-clause (iii) of clause (d) of sub-section (l), such yacaney had already been filled or selection for such vacancy has already been made in accordance with this Act."

25. Section 34 of the principal Act shall be omitted.

26. The Schodule to the principal Act shall be omitted.

27. The Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission constituted as a body corporate under section 3 of the principal Act as it stood immediately before the commencement of this Act, shall upon such commencement stand dissolved, and upon such dissolution—

(.) all properties and assets of that Commission and all debts, liabilities and obligations of that Commission whether contractual or otherwise shall stand transferred to such Board established under section 12 of the principal Act as the State Government may, by notified from specify in that behalf;

() all persons serving on deputation in that Commission shall revert to their paront departments;

(c) the services of every whole time employee of that Commission shall stand transferred to such Board established under section 12 of the principal Act as the State Government may, by noticication, specify in that behalf;

(d) any matter pending before that Commission under Chapter II of the principal Act as it stood before the commencement of this Act and any reference pending before that Commission under section 21 of the principal Act as it stood immediately before such commencement shall stand transferred to the Board ostablished under section 12 of the principal Act, having jurisdiction.

By order,
14. K. NARANO,
Sachiv.

पोक्ष (७०व्वापोठ- प्राणी छ 221 साथ (विवार) -- (2551)-- 1993 -- 850 (मेंबर्)।